

Case No. 6035/16

Order of Proceedings with Signature of Presiding Officer

20 वें अक्टूबर

Signature of

Parties of

Plenders where Necessary

आज आरक्षी केन्द्र 21/11/16 के उपनिरीक्षक/सहायक  
उपनिरीक्षक/प्रधान आरक्षक/आरक्षक 21/11/16  
को 1123 द्वारा भान कपड़ी की ओर से अपराध  
को 193/16 अंतर्गत द्वारा 34 डाक्टराई निरीक्षण  
माओदोरस/ अधिनियम के अधीन दण्डनीय  
अपराध के संबंध में अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग  
पत्र/परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए0डी0फ:3ओ0 श्री 20/11/16 उप0।

अभियुक्त/अभियुक्तगण 21/11/16 510 अन्तर्गत क्रिस्टि

डिस्ट्रिक्ट 40 निवासी/निवासीगण 21/11/16 राज्य से अधिवक्ता  
शाना 21/11/16 जिला फिरोज की ओर से अधिवक्ता  
उपस्थित। अभियुक्त/अभियुक्तगण को ओर से अधिवक्ता  
की 21/11/16 द्वारा गोरखपुर/वर्कालतनागा प्रस्तुत  
किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

है।

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग  
पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया  
अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार

माओदोरस/ 34 डाक्टराई अधिनियम के अधीन कायवाही किये जाने के  
आधार प्रकट हो रहे हैं। अन्तर्गत अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा  
190--(1) 40प्र0स10 के अधीन संज्ञान प्रथम पान का आदेश किया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आदेशित करने में दर्ज

किया जावे।

अभियुक्त/अभियुक्तगण 20/11/16 510 के अधीन प्राधान  
प्रकाश में अभियोग पत्र पर 21/11/16 निशुल्क दिलावे।

21/11/16 510 के अधीन प्राधान

21/11/16 510 के अधीन प्राधान

21/11/16 510 के अधीन प्राधान

21/11/16 510 के अधीन प्राधान



मानता संश्लिष्ट विचारणीय है। अतः संश्लिष्ट विचारण प्रारम्भ  
 की गई। अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध

धारा.....  
अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक् यथा संगत उसके शब्दों में लेखतन्त्र किया गया।

शब्दों में लेखन किया गया।  
अभियुक्त / अभियुक्तगण की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रत्येक से तैयार किया गया।  
कारागार हस्ताक्षर, दिनांकित, गुद्रांकित कर घोषित किया गया।  
अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय रूपरेखा  
अवसान तक की अवाधि के दण्ड एवं ..... 500/- ..... व्यतिक्रम  
के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम  
की दशा में अभियुक्त को ..... 7 ..... दिवस का साधारण  
कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निःशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति ११ स्व. १८८..... रूपये राजसात  
 चिये जायें। संपत्ति १२ स्व. १८८..... मूल्यहीन होने से नष्ट कर  
 व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी  
 को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया  
 जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के  
 आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम अपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित  
आवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरान्त  
अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

12-51-5

A.K. Gupta / 6  
Judicial magistrate first class  
Gohad Dist. Bhind (M. Pr.)

निर्णयानुसार	अभियुक्त / अभियुक्तागण	ने	अर्थदण्ड	की	राशि
.....	5000	रुपये	अदा	की	जिसकी
क0	5624	रसीद	क0	91	दो
अभियुक्त	/ अभियुक्तागण को सजा भुगताने गई।				

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अंगभूत हो

1545